...र्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
...और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
...य : लेन न0 1 वार्ड न0 9, अप्पर भक्तियाना, पौड़ी रोड़ श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड - 246174
...nal Highways & Infrastructure Development Corporation Ltd.
...istry of Road, Transport & Highways, Government of India)
...anch Office - Lane No. 1, Ward no. 9, Upper Bhaktiyana, Pauri Road
Srinagar Garhwal , Uttarakhand, Pin - 246174
दूरभाष/Phone : 01346 -253038, ई-मेल /e-mail : nhidclddn2@gmail.com
वेबसाइट/Website : www.nhidcl.com

NHIDCL
BUILDING INFRASTRUCTURE - BUILDING THE NATION
CIN U4500D12014GO1269062

सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम — A PUBLIC SECTOR UNDERTAKING

NHIDCL/Srinagar/R-J/ NH-58/2019-20/D- 2381 — दिनांक :30.09.2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर, जिला–चमोली।

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.00 से कि0मी0 460.00 में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावः– **आख्या प्रेषण के संबंध में।**

संदर्भः– 1. वन भूमि प्रस्ताव सं0 –FP/UK/ROAD/39349/2019.
2. आपके कार्यालय का पत्रांक 3645 / 12–1, दिनांक 04.05.2019 (EDS dt. 09.05.2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण पर संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से प्राप्त EDS की आख्या निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	EDS	आख्या
1	पार्ट 1 में क्र0सं0 C के (2) (b) में प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण मैंप के Segment details की के0 एम0 एल0 फाईल उक्त वन भूमि क्षेत्र की नहीं है।	Segment details की सही के0 एम0 एल0 फाईल को अपलोड किया जा चुका है।
2	पार्ट 1 में क्र0सं0 G के (i)(a) Cost Benefit Analysis प्रपत्र में प्रविष्टि अपूर्ण है।	Cost Benefit Analysis प्रपत्र अपलोड किये जा चुके हैं। जिसकी प्रति इस प्रत्र के साथ **संलग्नक–1** के रूप में भी संलग्न है।
3	पार्ट 1 में क्र0सं0 K के (i)(a) FRA प्रपत्र में प्रविष्टि अपूर्ण है।	FRA प्रपत्र अपलोड किये जा चुके हैं। जिसकी प्रति इस प्रत्र के साथ **संलग्नक–2** के रूप में भी संलग्न है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(नवीन कुमार)
महाप्रबन्धक (परि0)

प्रतिलिपिः–

1. कार्यपालक निदेशक–चतुर्थ, रा.रा. एवं अ.वि.नि.लि., मुख्यालय – नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप महाप्रबंधक (परि0), रा.रा. एवं अ.वि.नि.लि., स्थल कार्यालय –रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यालय प्रतिलिपि।

Scanned by CamScanner

संलग्नक - 1

परियोजना का नाम : उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0 58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड स्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

COST-BENEFIT ANALYSIS

Table-B : Estimation of Cost of Forest Diversion:

S. N.	Parameters	Roads, Tr. Lines & Railway Line
1	2	3
1	Ecosystem services losses due to proposed Forest Diversion (i.e. NPV of ForestLand)	2.69 Cr.
2	Loss of Animals husbandry productivity including loss of fodder	Loss of Animals husbandry productivity including loss of fodder due to diversion of RF and Civil Soyam land forest land will be negligible
3	Cost of human resettlement	Nil
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric Lines, Railways, etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project	105.00 Cr.
5	Possession value of Forest land diverted	0.30x2.69Cr.= **0.81 cr.**
6	Cost of Suffering to oustees	0.0
7	Habitat fragmentation cost	0.0
8	Compensatory afforestation and soil & Moisture conservation cost	82ha.x Rs 3,06,531=**Rs 2.51 Cr.**

Engineers Pvt. Ltd casta

Navin Kumar
General Manager (P)
NHIDCL B.O. Dehradun

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम : उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0 –58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड स्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Table-C- Existing guidelines for estimating benefits of forest –diversion in CBA

S. N.	Parameters	Roads, Tr. Lines & Railway Line
1	2	3
1	Increase in productivity attribut to the project	Mobility is difficult and time taking in mountainous Region . By the widening of road with 2 lane with paved shoulder saving in travel time, fuel and peoples energy. Saving of time and fuel itself shall help indirectly in increasing the productivity of the commercial and tourism activities for which transportation shall take place along the highway. Besides it will increase the pilgrimage.
2	Benefits to economy to the project	The main objective of this project is to alleviate the current unsafe condition of the highway and provide better quality and safe transport to the users by construction length from the existing highway. The project will yield significant economic benefit to the state. Construction of highway will lead to much better connectivity, which will play significant role in improving the socio- economic condition of the people of the state in many folds. It will aid in boosting the tourism in the region and also generate direct and indirect employment opportunities for the people in addition to the other indirect benefits by way of saving vehicle operating costs, less fuel consumption and saving time and cost of passenger travel etc. An amount of Rs. 517.51 Cr (per capita expenditure of tourist taken as Rs. 5,000 (approx.) per person for 10 days package for additional1035019 tourists) may be earned from tourism due to approximately increase of 10% tourist flow of 2.5 lakhs of present tourist flow.
3	No. of population benefited due to Project	According to 2011 censes, the population of District Chamoli & rudraprayag is 3,91,114 and 2,26,857 respectively. This entire population of both the districts will be benefited by the proposed road. Further, lakhs of pilgrims visit the holy shrines of Badrinath , Kedarnath and Hemkund sahib every year who will also be benefited due to widening/upgradation of the road in question. During last season 10,35,019 pilgrims visited Badrinath and 7,32,241 pilgrims visited Kedarnath. In addition , the defense forces deployed along Border will also be benefited immensely.
4	Employment potential due to direct & indirect employment due to the project	Approximate 9,12,500 man days of temporary employment will be generated for the construction period of 30 months. That will cost approximate Rs. 50.19Cr. Approximately 12,77,500 man days will also be required for construction, operation & maintenance , which will cost about Rs. 77.29 Cr. for period of 210 months. Total employment potential will cost approximately Rs. 127.48 Cr.
5	Economic benefit due to Compensatory afforestation	Economic benefit due to Compensatory afforestation is Rs.1.46 cr. Approximately.

Ratio of Benefit/Cost= 646.45 (Table C) /111.01 (Table B) =5.82

Navin Kumar
General Manager (P)
NHIDCL B.O. Dehradun

Scanned by CamScanner

संलग्नक-2(1)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने है)

FORM-I
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli
Government Of Uttarakhand

No............ Dated 21-9-2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98 FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 40.8916 ha of forest land proposed to be diverted in favour of **National Highway & Infrasture Development Corporation Limited "for Widening and strengthening of Existing road to 2-lane/2-lane with paved shoulders configuration on NH-07 (Old NH-58) from Km 399.000 to Km 460.000 in Chamoli District in the State of Uttarakhand."**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 40.8916hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 ....to annexure 30.9;

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed the and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.: As above

जिला अधिकारी
चमोली
(Mrs. SWATI BHADORIYA)
District Collector Chamoli

जिला समाज कल्याण अधि०

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District:- Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional for dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of **Mrs. SWATI BHADORIYA,** District Magistrate Chamoli, on dated 21-9-2019 at time ..03:00....at Chamoli in which application claiming rights in Forest Land area measuring **40.8916** ha. forest land **for Widening and strengthening of Existing road to 2-lane/2-lane with paved shoulders configuration on NH-07 (Old NH-58) from Km 399.000 to Km 460.000in Chamoli District in the State of Uttarakhand** under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scruitiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place. Chamoli Gopeshwar
Dated 21/9/2019

जिला समाज कल्याण अधि

जिला अधिकारी
चमोली
(Mrs. SWATI BHADORIYA)
District Collector Chamoli

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत (2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 6.600 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि) राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 4/9/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....

उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री अनिल कुमार च्यनवाल उप जिलाधिकारी .... अध्यक्ष
2. श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य
3. श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य/सचिव
4. श्री [illegible] बी0 डी0 सी0 क्षेत्र .... सदस्य

5. [illegible] ASWO, M Chamoli Dasoli Block जोशीमठ, 30/8/2019

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग तहसील में /चमोली/ राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई हैं।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रयाग रेंज द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस सम्बंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

[illegible]

नेगी
प्रधान
ग्राम पंचायत सोलता
वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

तहसीलः– कर्णप्रयाग/~~चमोली~~/जोशीमठ
जनपदः– चमोली 5/9/17

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5/9/17
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसीलः– कर्णप्रयाग/चमोली/जोशीमठ
जनपदः– चमोली

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

तहसीलः– कर्णप्रयाग/चमोली/जोशीमठ
जनपदः– चमोली

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसीलः– कर्णप्रयाग/चमोली/जोशीमठ
जनपदः– चमोली

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवारी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत (2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 6.600 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि) राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक. 26.6.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री ..... उप जिलाधिकारी ..... अध्यक्ष
2. श्री .....उप प्रभागीय वनाधिकारी ..... सदस्य
3. श्री .....सहायक समाज कल्याण अधिकारी ..... सदस्य / सचिव
4. श्री .....बी0 डी0 सी0 क्षेत्र ..... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कर्णप्रयाग तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई हैं।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दप्रयाग रेंज द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस सम्बंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 40.8916 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

ग्राम पंचायत सोनला
वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

(8)

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

तहसीलः– कर्णप्रयाग/चमोली/जोशीमठ
जनपदः– चमोली

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसीलः– कर्णप्रयाग/चमोली/जोशीमठ
जनपदः– चमोली

दमयन्ती मैठुटी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत सदस्य
[illegible] (चमोली)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग- 07 (पुराना एन0 एच0- 58) के कि0मी0 384.400 से कि0मी0 399.000 में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि उपान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप--30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – कर्णप्रयाग

नगर पालिका का नाम:– कर्णप्रयाग

वार्ड नं0 –

तहसील:–कर्णप्रयाग जिला:–चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0--58) के कि0मी0 384.400 से कि0मी0 399.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 1.330 हे0 आरक्षित वन भूमि, 6.3995 हे0 सिविल/वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 7.7295 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 01/05/2019 को राम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राश्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/-
नगर पालिका अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग
चमोली

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 364.400 से कि0मी0 399.000 में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

दिनांक 15/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - कर्णप्रयाग

नगर पालिका का नामः- कर्णप्रयाग

वार्ड नं0 -

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	[illegible]	[illegible]
2-	सुरेन्द्र सिंह रावत	[illegible]
3-	मोहनलाल	[illegible]
4-	प्रताप सिंह	[illegible]
5-	सुरेशानन्द सिंह	[illegible]

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग
चमोली

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - नाकोट (तरसाली), उमटा

ग्राम पंचायत का नामः- नाकोट

तहसीलः- क0प्रयाग, जिलाः- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 8.04.19 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत नाकोट
दिनांक 08/4/19
वि0 खण्ड-रुद्रप्रयाग (चमोली)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

दिनांक 08/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - बरसाली, उमरा

ग्राम पंचायत का नामः- नाकोट

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रमेश लाल	रमेशलाल
2	अतुल सिंह	[illegible]
3	सचिन सिंह	Sachin Singh
4	Mohan Singh	[illegible]
5	शिवदर्शन सिंह	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत नाकोट
मुद्रित ह0 [illegible]
दिनांक 08/4/19
वि0 खण्ड-रूद्रप्रयाग (चमोली)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-3.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – "भटु कालेश्वर"

ग्राम पंचायत का नाम:– कालेश्वर

तहसील:– क0प्रयाग जिला:– चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 10/5/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत कालेश्वर
ह0
दिनांक 10/5/2019
वि0 खण्ड–कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 10/5/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – काल्दू कालेश्वर

ग्राम पंचायत का नाम:–

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible] सिंह	[illegible]
2	[illegible] सिंह	Javed Singh
3	Sandeep	Sandeep
4	Ram Lal	Ram Lal
5	अतुल सिंह	अतुल सिंह

ह0

ग्राम प्रधान

मुहर

प्रधान ग्राम पंचायत कालेश्वर
प्रमाणित ह0 ....
दिनांक..........
वि0 खण्ड–कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – जयकण्डी, ग्वाड़

ग्राम पंचायत का नामः– जयकण्डी, बड़सोली

तहसीलः– कर्णप्रयाग जिलाः– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 08/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

8-04-2019

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 08/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – नयकण्डी, उवाड

ग्राम पंचायत का नाम:– बडसोली

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मोहन लाल	मोहन लाल
2-	किशोरी लाल	किशोरी लाल
3-	हेमन्त कुमार	हेमन्त कुमार
4-	प्रदीप कुमार	[illegible]
5-	सोबती देवी	सोबती देवी
6-	मनोज कुमार	[illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Shanchri
8-04-2019

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – उत्तरौं

ग्राम पंचायत का नामः– उत्तरौं

तहसीलः– ~~रुद्रप्रयाग~~ जिलाः– ~~रुद्रप्रयाग~~ चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृदृढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 06/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 06/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – उत्तरौं

ग्राम पंचायत का नाम:– उत्तरौं

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शिवलाल	[illegible]
2	रेखा देवी	रेखा देवी
3	मोहन सिंह	मोहन सिंह
4	महावीर सिंह	Maveer Singh
5	Manoj Singh	Manoj Singh

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत उत्तरौं
रेखा देवी
[illegible] (रुद्रप्रयाग)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग मे राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – लंगासू, निवाडी, उमराकोटी उर्फ बैडाणु

ग्राम पंचायत का नाम:– लंगासू

तहसील:– कर्णप्रयाग जिला:– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 05/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत लंगासू
हस्ताक्षर
दिनांक 8/4/19
विकास खण्ड कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 05/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – लंगासू, निवाड़ी, उमरकोट एवं गौडाव

ग्राम पंचायत का नाम:– लंगासू

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेन्द्र सिंह	Surendra
2	पंकज सिंह	पंकज सिंह
3	मोहन सिंह नेगी	[illegible]
4	प्रमोद लाल	[illegible]
5	अवतार सिंह	Pramod
6	सुरेन्द्र सिंह	[illegible]
7	महेन्द्र सिंह रावत	जोगा सिंह
		Mohan

ह0 ग्राम प्रधान मुहर सहित

ग्राम पंचायत लंगासू हस्ताक्षर दिनांक 5/4/19 विकास खण्ड अगस्त्यमुनि

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – डुंगलवाली, बिरोली, हडाकोटी, नौलीतली
ग्राम पंचायत का नामः– डुंगलवाली

तहसीलः– चमोली जिलाः– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 06/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवारी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

[signature]

प्रधान ग्राम पंचायत डुंगलवाली
ह0 [signature]
दि0 6/4/19
वि0 ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 08/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – डुंगलावाली, विरोली, हाडाकोटी, गौली

ग्राम पंचायत का नामः– डुंगलावाली

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजनी देवी	राजनी देवी
2	रामलाल	रामलाल
3	जशपाल लाल	Jaspal Lal
4	सुरेन्द्र लाल	सुरेन्द्र लाल
5	पंकज सिंह	Pankaj
6	अवतार सिंह	Avtar Singh

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

जशपाल लाल

प्रधान ग्राम पंचायत डुंगलावाली
ह0 जशपाल
दि0
वि0 ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – सोनला, नन्दप्रयाग, पुरसाड़ी

नगर पालिका का नामः– नन्दप्रयाग

वार्ड नं0 –

तहसीलः– चमोली जिलाः– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 05/04/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

अध्यक्ष

ह0/– नगर पचायत नन्दप्रयाग

नगर पालिका अध्यक्ष/चमोली

मुहर सहित

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 05/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – सोनला, नन्दप्रयाग, पुरसाड़ी

नगर पालिका का नामः– नन्दप्रयाग,

वार्ड नं0 –

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हेमा देवी,	हेमा देवी
2	रतन सिंह,	Rataq
3	मान सिंह	मान सिंह
4	धन सिंह	धन सिंह
5	पान सिंह	पान सिंह
6	गबर सिंह	[illegible]

ह0/–
अध्यक्ष
नगर पालिका अध्यक्ष नगर पंचायत नन्दप्रयाग
मुहर सहित जनपद चमोली

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़रलाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – भैंटाणा

ग्राम पंचायत का नामः– भैंटाणा

तहसीलः– चमोली जिलाः– चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 06/05/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 06/04/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – मैठाणा

ग्राम पंचायत का नामः– मैठाणा

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अतुल [illegible]	Atul
2	रामसिंह	रामसिंह
3	नरेन्द्र लाल	नरेन्द्र लाल
4	अमित कुमार	अमित कु
5	रोशन नेगी	[illegible]
6	अरविन्द सिंह	[illegible]

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] दशोली चमोली

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - सैमन्च बाजबगाढ, रोपा

ग्राम पंचायत का नामः- रोपा बाजबगढ,

तहसीलः- चमोली, जिलाः- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 15/5/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

ग्राम पंचायत रोपा बाजबगढ़
ह0 गीतादेवी
दिनांक 15/5/2019

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तारण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

दिनांक 15/5/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - ~~डुहेड़~~ सैमच बाजबगड़, रोपा

ग्राम पंचायत का नामः- " रोपा बाजबगड़ "

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मोहन सिंह	मोहन सिंह
2	अरविन्द सिंह	अरविन्द सिंह
3	राजकुमार	RajKumar
4	अतुल सिंह	अतुल
5	नरेन्द्र लाल	Narender

ह0/- गीता देवी 15/5/2019
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – कुस्याट गांव, गोलिम

ग्राम पंचायत का नाम:– गोलिम

तहसील:– चमोली, जिला:– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 22/5/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत गोलिम
ह0
दिनांक 22/5/2019
वि0 ख0 दशोली चमोली

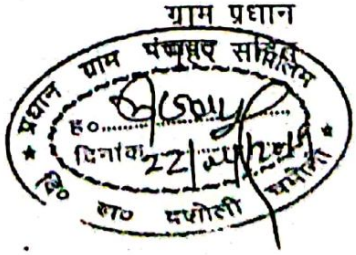

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 22/4/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – ~~[illegible]~~ कुलादगाव, गोलिम,

ग्राम पंचायत का नाम:– गोलिम

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुमित शाह	[signature]
2	अमित लाल	[signature]
3	रविन्द्र कुमार	रविन्द्र [signature]
4	अरविन्द लाल	[signature]
5	मनी सिंह	[signature]

प्रधान ग्राम पंचायत गोलिम चमोली
ह0 [signature]
दिनांक 22/4/2019

ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – झूमला लग्गा खेनूरी

ग्राम पंचायत का नाम:– खेनूरी

तहसील:– चमोली जिला:– चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 7/8/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

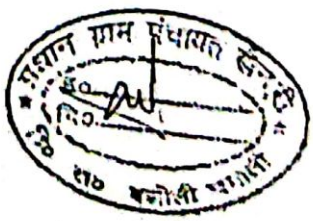

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग मे राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 01/08/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – भुमल्ला लग्गा खेनूरी

ग्राम पंचायत का नामः– खेनूरी

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	Kapil Singh	Kapil singh
2	लालसिंह	Ku.
3	बलवीर सिंह	लालसिंह
4	प्रकाशसिंह	बलवीर सिंह
5	दीवान सिंह	Prakash [illegible] दीवान सिंह
6	Balwant Singh	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	ओम प्रकाश	ओमप्रकाश

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

[illegible stamp: प्रधान ग्राम पंचायत ...]

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - गाड़ी

ग्राम पंचायत का नाम:- गाड़ी

तहसील:-चमोली जिला:-चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 25/12/19 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत गाड़ी
दि0 25/12/19

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढ़ढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

दिनांक 25/6/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - गाडी

ग्राम पंचायत का नामः- गाडी

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेन्द्र सिंह	Suren...
2	अरविन्द	अरविन्द
3	मनीष कुमार	Kaml...
4	शुशील सिंह	शुशील सिंह
5	[illegible] सिंह	प्रकाश सिंह

ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत गाडी
ह0 [illegible]
दि0 25/6/2019

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – नगर पंचायत पीपलकोटी, बाटूला, गाढोरा, संगयला, बिरही गौरख, क्षेत्रपाल
नगर पालिका का नाम:– पीपलकोटी,
वार्ड नं0 –

तहसील:– चमोली जिला:– चमोली –

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 7.1.03.2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0 [signature]
नगर पालिका अध्यक्ष
अध्यक्ष
नगर पंचायत
पीपलकोटी (चमोली)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 390.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

दिनांक..............................को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम - बाटूला, गडोरा, सेंगपला, नौरख, क्षेत्रपाल, बिरही

नगर पालिका का नाम:- पीपलकोटी

वार्ड नं0 -

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुशील वैष्णव	[illegible]
2	नवीन मैठियाल	[illegible]
3	चन्द्र मोहन हटवाल	
4		चन्द्रमोहन
5	हरीश चन्द्र वैष्णव	[illegible]
6		
7	लीला वैष्णव सभासद गडोरा	Leela
8	[illegible]	[illegible]
9	दामोदर [illegible]	दामोदर
10		
11	धर्मेन्द्र सिंह सभासद	[illegible]
12	कमलेश पवार	Kamlesh
13	देवेन्द्र सिंह	[illegible]
14	आशीष सिंह रावत	Ashish
15	दीपक रावत	दीपक
16		
17	कुन्दन सिंह रावत	कुन्दन
18	नीरज पाल सिंह (पार्षद)	[illegible]
19	पवन राणा	[illegible]
20		
21	मन्जू देवी (सभासद)	मन्जू देवी

ह0 [illegible]
नगर पालिका अध्यक्ष
मुख्याध्यक्ष
नगर पंचायत
पीपलकोटी (चमोली)

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - पाखी, जलग्वाड़

ग्राम पंचायत का नामः- पाखी

तहसीलः- जोशीमठ जिलाः- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 02/04/19 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रधान ग्राम पंचायत पाखी
ह0 [signature]
दि0 02/04/19
वि0ख0 जोशीमठ (चमोली)

ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग मे राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 02/04/19 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – पाखी, जलग्वाड

ग्राम पंचायत का नामः– पाखी

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामसिंह	रामसिंह
2	पुष्करसिंह	पुष्करसिंह
3	भूपालसिंह	भूपालसिंह
4	रघुवीरसिंह	रघुवीर सिंह
5	पुष्पादेवी	पुष्पा देवी
6	चण्डी प्रसाद	चण्डी प्रसाद
7	रणजीतसिंह	रणजीत सिंह
8	हरिराम	Hariram

प्रधान ग्राम पंचायत पाखी
ह0 नर्वदा देवी
ना0 ....
वि0ख0 जोशीमठ (चमोली)

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड़स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तिरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – टंगणी तल्ली

ग्राम पंचायत का नामः– टंगणी तल्ली

तहसीलः- जोशीमठ जिलाः– चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 21/5/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/– 21/5/2019

ग्राम प्रधान

मुहर सहित

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 21/5/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – रैंगणी तल्ली

ग्राम पंचायत का नाम:– रैंगणी तल्ली

क्रमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	श्यामलाल	श्याम लाल
(2)	रेवा देवी	रेवा देवी
(3)	पुष्कर सिंह	[illegible]
(4)	राम लाल	राम लाल
(5)	अमित	अमित
(6)	लरोवरी देवी	[illegible] देवी

ह0/– 21/5/2019
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

परियोजना का नामः- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैड़रलाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम – टंगणी मल्ली

ग्राम पंचायत का नामः– टंगणी मल्ली

तहसीलः–उखीमठ जिलाः– चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 1/03/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंडस्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 11/03/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – टंगणी मल्ली

ग्राम पंचायत का नाम:– टंगणी मल्ली

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विसम्भर प्रसाद	विसम्भर प्रसाद
2	जितेन्द्र सिंह	जितेन्द्र सिंह
3	रोशन	Roshan
4	Rohit	R
5	श्याम लाल	श्याम लाल
6	मनोज सिंह	मनोज सिंह
7		

ह0/
ग्राम प्रधान [signature]
मुहर सहित

Scanned by CamScanner

41

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग मे राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 मे लैंडस्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-30.4

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम का नाम - नौलिंगवाड़

ग्राम पंचायत का नाम:- गणाई

तहसील:- जोशीमठ, जिला:- चमोली -

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 पर सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु 2.3969 हे0 आरक्षित वन भूमि, 31.8947 हे0 सिविल वन भूमि 6.600 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 40.8916 हे0 वन भूमि का वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत के ग्राम द्वारा दिनांक 02/03/2019 को सम्पन्न बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों के निवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका व ग्रामों के निवासियों द्वारा उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

ह0/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत गणाई
दिनांक
वि0 ख0 जोशीमठ चमोली

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग–07 (पुराना एन0 एच0–58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड्स्लाइड़ का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एंव सृढढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एंव अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारुप–30.4

दिनांक 05/03/2019 को सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम का नाम – नौलीग्वाड़

ग्राम पंचायत का नाम:– गणाई

कमांक	निवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	कुमुदानन्द	कुमुदानन्द
2	चन्द्रवल्लभ	चन्द्रवल्लभ
3	उतरादेवी	उतरादेवी
4	लोकानन्द	लोकानन्द
5	महेशानन्द	महेशानन्द

ह0/–
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

Scanned by CamScanner